भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 297

27 नवंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय आंकड़ा साझेदारी एवं अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी)

†297. श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-संवेदनशील सरकारी डेटा तक खुली पहुँच को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय आँकड़ा साझेदारी एवं अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) के कार्यान्वयन और प्रभाव का मूल्यांकन किया है, और यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्ष क्या है;

(ख) प्रभावी डेटा साझाकरण का समर्थन करने के लिए विभिन्न सरकारी प्लेटफार्मों में डेटा की गुणवत्ता, अंतर-संचालन और एकीकरण को बढ़ाने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे है;

(ग) क्या सरकार अनुसंधान और तकनीकी उन्नति के लिए साझा डेटा के अभिनव उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी हितधारकों के साथ सहयोग कर रही है और ऐसी साझेदारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पारदर्शिता और गोपनीयता विनियमों के अनुपालन को बनाए रखते हुए डेटा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुरक्षित, वास्तविक समय डेटा पहुँच सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से **(ख):** ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म (data.gov.in) में आंकड़ों की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए सुदृढ़ अंतर्वस्तु समीक्षा नीति लागू की गई है, जिसमें एनआईसी की परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा वेब पृष्ठों और अंतर्वस्तु का नियमित परीक्षण किया जाता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग में मुख्य आंकड़ा अधिकारी आंकड़ों की गुणवत्ता और सटीकता को सुनिश्चित करते हैं। एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) अन्य अनुप्रयोगों और विभागों के साथ आंकड़ा साझाकरण और अंत: प्रचालनीयता सुकर करता है।

(ग) जी हाँ। इंडियाएआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव का उद्देश्य वास्तविक दुनिया की चुनौतियों पर ध्यान देने वाले प्रभावशाली एआई उत्पाद/सेवा के विकास, उन्नयन और प्रचार को सहायित करना है। इस पहल के हिस्से के रूप में, इंडियाएआई नवोन्मेषकों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों, थिंक टैंकों, उद्योग, नागरिक समाज और स्वायत्त निकायों से अपील करते हुए चुनौतीपूर्ण नवोन्मेष गतिविधि चला रहे है ताकि जनसंख्या-स्तरीय अभिनव एआई उत्पाद/सेवा बनाने के कार्यक्रम में सहयोग करके इसे सृजित किया जा सके। इंडियाएआई मिशन ऐसे स्वदेशी उपकरणों, प्राधारों और दिशानिर्देशों के विकास को संभव करता है जो भारतीय डेटासेट पर आधारित होते हैं और हमारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता लिए संप्रत्यीकृत होते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु द्वारा एकीकृत भू-स्थानिक डेटा साझाकरण इंटरफ़ेस

(जीडीआई) का पायलट संस्करण विकसित किया गया है जो विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए निर्बाध डेटा साझाकरण, पहुँच और विश्लेषण को संभव करता है। हाल ही में, विभाग ने सार्वजनिक और निजी हितधारकों को शामिल कर रहे नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने हेतु पायलट पैमाने पर भू-स्थानिक डेटा और प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के संभावित अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए ऑपरेशन द्रोणागिरी भी शुरू किया है।

(घ) ओजीडी प्लेटफॉर्म का प्रबंधन सरकार के दिशा-निर्देशों और डेटा सुरक्षा नीतियों के अनुपालन से किया जाता है। इसकी संरचना परिवर्तनीय और उच्च उपलब्धता वाली है। विभागों को डेटासेट तैयार करने, डेटासेट प्रदान करने, मेटाडेटा की व्याख्या करने और डेटा प्रकाशन, फीडबैक प्रबंधन आदि के संपूर्ण वर्कफ़्लो के संबंध में तकनीकी सलाह दी जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (युक्तियुक्त सुरक्षा प्राचलन पद्धति और प्रक्रिया तथा संवेदनशील वैयक्तिक सूचना या जानकारी) नियमावली, 2011 (एसपीडीआई नियमावली) युक्तियुक्त सुरक्षा प्राचलन पद्धति और प्रक्रिया, जैसे सूचित सहमति, अभिगम नियंत्रण, और लेखा परीक्षा प्रक्रम को लागू करने के लिए अपेक्षित ढांचा प्रदान करती है। इसके अलावा, व्यक्तियों की वैयक्तिक सूचना की सुरक्षा करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका डेटा केवल उनकी सहमति से साझा किया जाए, डिजिटल वैयक्तिक सूचना अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) अधिनियमित किया गया है। डीपीडीपी अधिनियम का लक्ष्य व्यक्तियों की निजी सूचना की सुरक्षा करना, और वैध प्रयोजन से वैयक्तिक सूचना का प्रक्रमण सुनिश्चित करना है। डीपीडीपी अधिनियम में उल्लेख किया गया है कि वैयक्तिक सूचना के प्रक्रमण के लिए उचित तकनीकी और संगठनात्मक उपाय करने होंगे और किसी भी प्रकार की वैयक्तिक सूचना के उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाने होंगे। डीपीडीपी अधिनियम ऐसा ढांचा स्थापित करता है जो संगठनों को उनकी डेटा अवसंरचना को आधुनिक बनाने, सुरक्षित प्रौद्योगिकियों को अपनाने, और डेटा रक्षण से अवगत प्राचलन पद्धति को लागू करने के लिए प्रेरित करता है। सुरक्षित, यथा कालिक सूचना अभिगम, और डेटा रक्षण सिद्धांतों के अनुपालन पर जोर देने से संतुलित अभिगम सृजित होता है, जो वैयक्तिक सूचना के प्रक्रमण में जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों को सुनिश्चित करता है। इन प्रयासों का लक्ष्य व्यक्ति को उसकी वैयक्तिक सूचना पर अधिक नियंत्रण प्रदान करना है, साथ ही संगठनों द्वारा उसकी जानकारी को प्रक्रमित करने के तरीके पर भरोसा बढ़ाना है। डीपीडीपी अधिनियम अभी प्रवृत नहीं हुआ है और डीपीडीपी अधिनियम के प्रवृत होने के बाद, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 43ए अकृत हो जाएगी ।

*****